न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या : 69/2015
दायर दिनांक : 25/11/2019
निर्णय दिनांक : 21/02/2024

उनवान

1. अब्दुल करीम दिवान उपनाम मोहम्मद पिता नूर मोहम्मद शाह निवासी 156 गांधीनगर, पहाड़ा, उदयपुर

वादी

बनाम

1. तहसीलदार, भूपालसागर
2. मोहम्मद अयूबशाह पिता स्व. हाजी मोहम्मद इब्राहिम शाह निवासी मगरीवाले जहुरभाइ की चक्की के पीछे, कालका माता रोड़, गणेशनगर, पहाड़ा, उदयपुर
3. सिराज मोहम्मद शाह पिता स्व.हाजी मोहम्मद इब्राहिम शाह निवासी मगरीवाले जहुरभाइ की चक्की के पीछे, कालका माता रोड़, गणेशनगर, पहाड़ा, उदयपुर
4. खातून बेगम पत्नी हाजी मोहम्मद इब्राहिम शाह निवासी मगरीवाले जहुरभाइ की चक्की के पीछे, कालका माता रोड़, गणेशनगर, पहाड़ा, उदयपुर
5. श्री खलील अहमद शाह पिता स्व. कमरूद्दीन शाह निवासी मगरीवाले जहुरभाइ की चक्की के पीछे, कालका माता रोड़, गणेशनगर, पहाड़ा, उदयपुर
6. दिलशाद हुसैन शाह पिता स्व कमरूद्दीन शाह मगरीवाले जहुरभाइ की चक्की के पीछे, कालका माता रोड़, गणेशनगर, पहाड़ा, उदयपुर
7. श्री अखलाक दिवान शाह पिता स्व. कमरूद्दीन शाह निवासी मगरीवाले जहुरभाइ की चक्की के पीछे, कालका माता रोड़, गणेशनगर, पहाड़ा, उदयपुर
8. ओनहुसैन शाह पिता स्व. लियाकत हुसैन शाह निवासी मदार प्लाजा ठोकर चौराहा, आयड रोड, उदयपुर
9. हुर हुसैन शाह पिता स्व. लियाकत हुसैन शाह निवासी मदार प्लाजा ठोकर चौराहा, आयड रोड, उदयपुर
10. नूरजहां बेवा स्व. लियाकत हुसैन शाह निवासी मदार प्लाजा ठोकर चौराहा, आयड रोड, उदयपुर
11. शराफत हुसैन शाह पिता स्व. मोहम्मद ईस्माईल शाह निवासी गुलशन प्लाजा ठोकर चौराहा उदयपुर
12. टसलम पिता स्व.फकरूद्दीन शाह निवासी रूपनगर भुवाणा उदयपुर
13. अफजल पिता फकरूद्दीन शाह निवासी रूपनगर भुवाणा उदयपुर
14. जुबैदा पत्नी स्व. अब्दुल लतीफ शाह निवासी जवाहरनगर आकोला तहसील भूपालसागर

प्रतिवादी

राजस्व वाद अंतर्गत धारा–88 व 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2024.04.03 15:27:24 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित : 1. श्री गोपाल दाधीच

: निर्णय :

वकील वादी की ओर से एक वादपत्र बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती अंतर्गत धारा–88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया । जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है :

यह है कि ग्राम आकोला तहसील भूपालसागर के हल्के बैरूनी में हाल जमाबंदी दर्ज आ.सं. 5966 रकबा 0.97 साबिक नंबर 3679 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा थे, जो जमालशाह, नूरशाह पिता रमजूशाह उदयपुर के नाम दर्ज थी। नूरमोहम्मद शाह वादी के पिता थे जो फौत हो गये। मुझ वादी के पिता

मोहम्मद शाह के फौत होने पर उनके वारीसान दो पुत्रों के नाम विरासत से साबिक नामान्तरण सं. 229 खोला गया जो फकरूद्दीन व मोहम्मद पिता नूरशाह के नाम खोला गया जिसमें मुझ वादी का बचपन का घर में पुकारा जाने वाला नाम मोहम्मद जो है वह दर्ज कर दिया जो मेरा उपनाम है। मेरा जगजाहिर दस्तावेजी नाम अब्दुल करीम दिवान पिता नूरमोहम्मद शाह है। उपरांकित रेवेन्यू रिकार्ड में मुझ वादी का नाम मोहम्मद रह जाने से मैं उक्त आराजियात हिस्से को आबादान करने, राजकीय कृषि योजनाओं का लाभ, ऋण आदि लेने से वंचित हूं। इसलिये सहखातेदारान के साथ मुझ वादी का नाम मोहम्मद पिता नूरशाह जो दर्ज है व उक्त आराजियात में मेरा 1/4 हिस्सा है जो मेरे भाई प्रतिवादी सं. 12, 13, 14 के साथ बराबर भाग से गलत दर्ज किया गया है, को हटा मेरा प्रचलित नाम अब्दुल करीम दिवान पिता नूरमोहम्मद शाह शुद्ध घोषणा के जरिये अंकित किये जाने की प्रार्थना है। उक्त अंकन शुद्ध किये जाने से किसी को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है।

यह है कि प्रतिवादीगण रेवेन्यू अधिकारी है जिसे दुरूस्ती हेतु आवश्यक पक्षकार बनाया है। शेष प्रतिवादीगण सहखातेदारान है जो कि उक्त इन्तकाल कार्यवाही में अधिनस्थ कर्मचारियों ने मेरा नाम सही अंकित नहीं किया। सहखातेदारान को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। गलत इन्द्राज की जानकारी वादी को दिनांक 10.03.2016 को हुई नकले ली, राजस्व कैम्प आकोला में अर्जी दी परन्तु वादी के बीमार हो जाने से कार्यवाही नहीं करा सका, जिससे बिनाय पैदा होकर बनी हुई है। खातेदार इब्राहिम, कमरूद्दीन व ईस्माइल शाह फौत हो गये, जिनके इन्तकाल वारीसान कार्यवाही नहीं हुई परन्तु उनके बजाय वारीसान को पक्षकार प्रतिवादीगण बनाये हैं। वादपत्र की ताईद में जमाबंदी हाल, साबिक मिलान शीट, आधार कार्ड, वोटर आई.डी. बैंक पास बुक व शपथपत्र पेश है। रेवेन्यू रिकार्ड अंकन शुद्धी की घोषणा की डिक्री ग्राम आकोला हल्के बैरूनी आ.सं. 5966 रकबा 0.97 है. में दीगर सहखातेदार के साथ वादी का नाम मोहम्मद पिता नूरशाह मुसलमान सा. उदयपुर लिखा है, के बजाय प्रचलित दस्तावेजी नाम अब्दुल करीम दिवान पिता नूरमोहम्मद शाह 1/4 हिस्सा खातेदार अंकन किया जाना सादर फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये बाद सम्मन तामील प्रतिवादी सं. 1 की ओर से पैरोकार सरकार ने अपना जवाब पेश किया जिसमे बताया कि प्रकरण में वादी ग्राम आकोला के हाल आ.सं. 5966 रकबा 0.97 है. में अपना नाम मोहम्मद पिता नूरशाह के बजाय अब्दुल करीम दिवान पिता नूरमोहम्मद शाह करवाना चाहता है, इससे स्पष्ट है कि प्रकरण में राज्य पक्ष प्रभावित नहीं हो रहा है। वादी अपने वाद में चाही गई दाद स्वयं सिद्ध करावे। प्रतिवादी संख्या 2 से लगायत 11 एवं 14 तक द्वारा स्वीकारोक्ति का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की जावे। प्रतिवादी संख्या 12 व 13 बावजूद सूचना पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी उपस्थित नहीं आने से दिनांक 31.08.2023 को इनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा की गई।

इस प्रकरण मे बाद प्रतिवादी पैरोकार सरकार के जवाब में राज्य पक्ष प्रभावित नहीं होना एवं शेष प्रतिवादीगण का जवाब स्वीकारोक्ति का होने से तनकीयात कायम की जाने की आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली में वर्णित तथ्यों एवं उपलब्ध साक्ष्य सामग्री दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। वादीगण के शपथ–पत्र, अन्य दस्तावेजों एवं साक्ष्यों के शपथ–पत्र व वकील वादी एवं पेरोकार सरकार तहसीलदार भूपालसागर की बहस के आधार पर वादीगण का वाद अंर्तगत धारा–88 व 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भूपालसागर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम ग्राम आकोला हल्के बैरूनी आ.सं. 5966 रकबा 0.97 है. में दीगर सहखातेदार के साथ वादी का नाम मोहम्मद पिता नूरशाह मुसलमान सा. उदयपुर लिखा है, के बजाय प्रचलित दस्तावेजी नाम अब्दुल करीम दिवान पिता नूरमोहम्मद शाह 1/4 हिस्सा खातेदार अंकन किया जावे। पत्रावली बाद तकमील कुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.02.2024 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2024.04.03 15:27:24 IST
Reason: SelfAttested

(पुनीत कुमार गेलड़ा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर

उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर